न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – कपूर शंकर मान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
032/2019 (RCMS 2019/00111)	13.06.2019	28.06.2019

अनवान

1. श्री अणछी बाई पत्नि श्री भैरूलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मूला पिता प्रताप जाति सालवी आयु वयस्क निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. श्री नन्दा पिता भूरा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
3. श्री नारायण सिह पिता उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी भालोटा की खेडी

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री शंकर लाल चौधरी प्रार्थी।
एक तरफा अप्रार्थीगण।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भालोटा की खेडी पटवार हल्का भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 358 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2174/110 कुल किता 01 रकबा 8.05 बीघा–बिस्वा लगानी 5.17 रूपये भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है और अप्रार्थीगण अराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जा कर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 28.06.2019 को अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस एक तरफा हेतु निवेदन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को एक तरफा सुना गया। पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी संख्या 1, आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी संख्या 1, प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज0भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार राशमी को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता हैं। सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक के जरिये तहसीलदार राशमी आदेश दिया जाता हैं कि मौजा भालोटा की खेडी पटवार हल्का भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 358 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2174/110 कुल किता 01 रकबा 8.05 बीघा–बिस्वा लगानी 5.17 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार मौके पर फसल खडी ना हो तो नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावें। तहसीलदार राशमी को तहरीर जारी करे।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को 28.06.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कपूर शंकर मान)
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता 5–08(32)2019/28.06.2019 दिनांक 28 जून, 2019

निमित,

भू–अभिलेख निरीक्षक,
वृत्त **सिहाना**
जरिये तहसीलदार,राशमी

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

अनवान

1. श्री अणछी बाई पत्नि श्री भैरूलाल जाति सालवी आयु वयस्क निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मूला पिता प्रताप जाति सालवी आयु वयस्क निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. श्री नन्दा पिता भूरा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी भालोटा की खेडी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
3. श्री नारायण सिह पिता उम्मेद सिंह जाति राजपूत निवासी भालोटा की खेडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :– 031/2019

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको आदेशित किया जाता हैं कि मौजा मौजा **भालोटा की खेडी** पटवार हल्का **भालोटा की खेडी** तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की आराजीयात आराजी संख्या 2174/110 कुल किता 01 रकबा 8.05 बीघा–बिस्वा कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार मौके पर फसल खडी ना हो तो नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावें।

(कपूर शंकर मान)
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official